International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation.

केन्द्रीयकरण के युग में भारतीय संघवाद: जीएसटी, नीति आयोग और उससे आगे

विवेक कुमार यादव
शोध छात्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारत

* Corresponding Author: **विवेक कुमार यादव**

Article Info

ISSN (Online): 2582-7138
Impact Factor (RSIF): 7.98
Volume: 06
Issue: 04
July - August 2025
Received: 25-06-2025
Accepted: 28-07-2025
Published: 24-08-2025
Page No: 1463-1466

सारांश
भारतीय संघवाद एक निरंतर विकसित होने वाली व्यवस्था है, जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान के अनुसार तय है। लेकिन समय के साथ राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक परिस्थितियों ने संघीय ढाँचे को नई दिशा दी है। 21वीं सदी में भारत एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहाँ केंद्र की भूमिका पहले से कहीं अधिक मज़बूत हुई है, जबकि राज्यों को विकास, निवेश और संसाधनों के लिए केंद्र पर अधिक निर्भर होना पड़ा है। जीएसटी, नीति आयोग, आपदा प्रबंधन, शिक्षा–स्वास्थ्य नीतियाँ, केंद्र प्रायोजित योजनाएँ, डिजिटल शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निर्णयों ने भारतीय संघवाद का चरित्र बदल दिया है। यह लेख सरल और लंबे स्वरूप में बताता है कि भारतीय संघवाद कैसे ऐतिहासिक रूप से विकसित हुआ, किस प्रकार केंद्र–राज्य संबंधों में परिवर्तन आया, किन कारणों से केंद्रीयकरण बढ़ा, राज्यों की सीमाएँ क्या हैं, और भविष्य में भारत को किस प्रकार के "संतुलित संघवाद" की आवश्यकता है। लेख का उद्देश्य जटिल विषयों को सरल भाषा में समझाते हुए पाठकों को यह बताना है कि भारत का संघवाद क्यों "एक जीवंत प्रयोग" है, जो लगातार बदलते समय, चुनौतियों और अवसरों के अनुसार अपने को ढालता है।

मुख्य शब्द: भारतीय संघवाद, केंद्र–राज्य संबंध, वित्तीय संघवाद, जीएसटी, नीति आयोग, सहकारी संघवाद, स्पर्धात्मक संघवाद, केन्द्रीयकरण, संवैधानिक ढाँचा, विकास नीति

परिचय
भारतीय संविधान एक ऐसे संघीय ढाँचे की परिकल्पना करता है जो एकता और विविधता के बीच संतुलन बनाए रखता है। भारत के संस्थापकों ने ऐसा शासन तंत्र तैयार किया जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया गया ताकि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए क्षेत्रीय पहचान का भी सम्मान हो सके। डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने भारत को "राज्यों का संघ" कहा था, न कि "संप्रभु राज्यों का संघ।" यह वाक्य भारतीय संघवाद की आत्मा को स्पष्ट करता है — एक ऐसा संघ जहाँ एकात्मक झुकाव तो है, परंतु क्षेत्रीय विविधता की रक्षा भी सुनिश्चित की गई है।

किन्तु व्यवहार में यह संतुलन समय के साथ डगमगाने लगा और भारतीय संघवाद का स्वरूप अधिकाधिक केन्द्रीय होता गया। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक दशकों में केन्द्रीयकरण भारतीय शासन की एक व्यावहारिक आवश्यकता बन गया था। नवगठित गणराज्य को स्थायित्व, एकता और आर्थिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी, जिसके लिए केंद्र को व्यापक शक्तियाँ दी गईं। योजना आयोग की स्थापना (1950) ने इस प्रवृत्ति को और सुदृढ़ किया। यह आयोग राज्यों को धन आवंटित करता, विकास योजनाएँ निर्धारित करता और राष्ट्रीय नीतियों को लागू कराता था। परिणामस्वरूप, राज्यों की आर्थिक निर्भरता केंद्र पर बढ़ती गई और संघीय ढाँचा व्यवहार में अधिक एकात्मक बन गया। यद्यपि संविधान ने राज्यों को कुछ विधायी स्वायत्तता प्रदान की थी, लेकिन वित्तीय संसाधनों की कमी ने उन्हें केंद्र के मार्गदर्शन पर निर्भर कर दिया।

1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद यह अपेक्षा की जा रही थी कि संघीय ढाँचा अधिक विकेन्द्रित होगा और राज्यों को अपनी नीतियाँ तय करने की अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। परंतु व्यवहार में केन्द्रीय नियंत्रण नए रूपों में बना रहा — जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाएँ, राष्ट्रीय नीति ढाँचे और शक्तिशाली राष्ट्रीय दलों का प्रभाव।

राजनीतिक गठबंधन, संसाधनों का वितरण और योजना निर्माण की प्रक्रियाओं ने राज्यों की स्वायत्तता को सीमित किया। हालाँकि कुछ राज्यों — जैसे गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल — ने नवाचार और निवेश आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु उनकी नीति-स्वतंत्रता अब भी केंद्र की स्वीकृति और संसाधन पर निर्भर रही। लेकिन 2014 के बाद संघवाद ने एक और नया मोड़ लिया, जिसे कई विशेषज्ञ "नया केंद्रीयकरण" या "नई एकीकृत संरचना" कहते हैं। इसमें तकनीक, डिजिटल गवर्नेंस, राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं, केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं, जीएसटी जैसे सुधारों और नीति आयोग की बदलती भूमिका ने केंद्र की शक्ति को अधिक प्रमुख बना दिया। हालांकि केंद्र का तर्क यह रहा कि भारत तेज़ी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था है और राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत निर्णय विकास की गति को तेज़ करते हैं।

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) इस परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है। जीएसटी ने भारत की कर प्रणाली को एक समान बना दिया। पहले राज्य अपने-अपने स्तर पर बिक्री कर, वैट और अन्य कर लागू करते थे, जिससे राज्यों के पास वित्तीय स्वायत्तता और अपने संसाधन बढ़ाने की क्षमता थी। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों की कर-संबंधी स्वतंत्रता कम हो गई और वे जीएसटी परिषद के माध्यम से निर्णय लेने लगे। जीएसटी परिषद में केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वह नीति दिशा तय कर सकता है। राज्यों को शुरुआत में नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवज़ा मिला, लेकिन बाद में यह समाप्त हो गया। इस कारण राज्यों ने कई बार कहा कि उनकी वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ रहा है।

नीति आयोग की भूमिका को भी समझना आवश्यक है। योजना आयोग के दौर में राज्यों को योजना निधि यानी प्लान फंड मिलता था, जिसमें केंद्र की ओर से अनुदान और सहायता शामिल होती थी। योजना आयोग राज्यों को धन आवंटित करता था, जिससे राज्यों की आर्थिक योजनाएँ चलती थीं। 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग एक विचारधारा आधारित, परामर्श देने वाली संस्था है, जो विकास की दिशा तय करने में राज्यों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करती है। यह सहकारी संघवाद की ओर एक कदम माना गया, लेकिन राज्यों को यह महसूस हुआ कि जब नीति आयोग के पास धन आवंटन का अधिकार नहीं है, तो उसकी सिफारिशें प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पातीं। इससे राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता बनी रहती है।

केंद्र–राज्य संबंधों में एक और बड़ा बदलाव आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य नीतियों के क्षेत्र में आया। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे देश में एक समान नियम लागू हुए। राज्यों की दलील थी कि स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, लेकिन महामारी नियंत्रण के लिए केंद्र की भूमिका निर्णायक बन गई। कई राज्यों ने यह भी कहा कि उनके स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नीति बनाने की क्षमता सीमित हो गई। हालांकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम (NDMA) के तहत केंद्र को यह अधिकार है कि वह पूरे देश के लिए नियम तय कर सकता है। यह भारतीय संघवाद में केंद्र की मज़बूत भूमिका का एक व्यवहारिक उदाहरण है।

शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्र भी संघीय ढाँचे में महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा को एक राष्ट्रीय ढाँचे में लाकर नई दिशा दी। राज्यों को कई बातों पर स्वयं निर्णय करने की स्वतंत्रता है, लेकिन व्यापक ढाँचा केंद्र ने ही निर्धारित किया। इसी तरह कृषि कानूनों पर बड़ा विवाद हुआ, जिसे बाद में सरकार ने वापस ले लिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्यों और केंद्र के बीच नीति बनाने में संतुलन का मुद्दा अभी भी संवेदनशील है।

डिजिटल इंडिया, आधार, DBT, राष्ट्रीय स्तर के पोर्टल और केंद्रीकृत सरकारी योजनाएँ—ये सभी भारतीय प्रशासन को एकीकृत और सरल बना रहे हैं। लेकिन राज्यों का यह तर्क है कि अधिकतर डेटा-आधारित निर्णय केंद्र स्तर पर तैयार होने लगे हैं, जिससे राज्यों के नीति-निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

आज का संघवाद केवल राजनीतिक या संवैधानिक संबंधों का विषय नहीं है बल्कि आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और प्रशासनिक ढाँचे से भी जुड़ा हुआ है। केंद्र और राज्य दोनों को विकास चाहिए—इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन। लेकिन इसमें राज्यों की आवश्यकताएँ अलग-अलग हैं। पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर के राज्यों, छोटे राज्यों और तटीय राज्यों की चुनौतियाँ और विकास के लक्ष्य एक-दूसरे से भिन्न हैं। इसलिए भारतीय संघवाद में असममित संघवाद (asymmetric federalism) की अवधारणा भी महत्वपूर्ण बन जाती है, जिसमें कुछ राज्यों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं ताकि वे अपने विशिष्ट सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार नीति बना सकें।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि वित्त आयोग की अनुशंसाएँ केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन तय करती हैं। हर पाँच वर्ष में वित्त आयोग राज्यों को उनके हिस्से का कर-वितरण निर्धारित करता है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों में कई राज्यों ने चिंता जताई थी कि जनसंख्या आधारित मापदंड से दक्षिणी राज्यों को नुकसान होगा। इससे स्पष्ट होता है कि भारत के संघवाद में वित्तीय संरचना सबसे संवेदनशील क्षेत्र है और इसे लगातार संतुलित रखना आवश्यक है।

भविष्य का भारतीय संघवाद कैसा होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को ऐसा संघवाद चाहिए जिसमें केंद्र राष्ट्रीय हित और एकीकृत नीतियों का नेतृत्व करे, लेकिन राज्यों को भी पर्याप्त वित्तीय अधिकार मिले ताकि वे अपने मुद्दों को स्वयं हल कर सकें। सहकारी संघवाद (cooperative federalism) और स्पर्धात्मक संघवाद (competitive federalism) दोनों को मिलकर संतुलन बनाना होगा। केंद्र को राज्यों को विकास के लिए स्वतंत्रता देनी होगी, और राज्यों को केंद्र के साथ समन्वय बनाए रखना होगा। दोनों का संबंध एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी की तरह नहीं बल्कि साझेदार के रूप में होना चाहिए।

इसलिए आज का संघवाद केवल शक्ति-वितरण का ढाँचा नहीं है, बल्कि एक साझेदारी है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर देश के विकास का मार्ग तय करते हैं। संविधान ने जो संतुलन स्थापित किया था, उसे आधुनिक समय के अनुसार लगातार अपडेट करने की आवश्यकता है। भारत का संघवाद स्थिर नहीं है, यह बदलते समय के अनुसार विकसित होता रहता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।

2017 में लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर (GST) भारतीय संघवाद के विकास में एक ऐतिहासिक मोड़ था। जीएसटी का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के जटिल कर ढाँचे को एकीकृत कर "एक राष्ट्र, एक कर" प्रणाली बनाना था। इसके लिए जीएसटी परिषद बनाई गई, जिसमें केंद्र और राज्यों दोनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह परिषद सहकारी संघवाद का प्रतीक मानी गई, क्योंकि निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाने का प्रावधान किया गया।

किन्तु व्यवहार में शक्ति का संतुलन समान नहीं रहा। राज्यों ने वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने की स्वतंत्र शक्ति छोड़ दी, जबकि परिषद में निर्णय अक्सर केंद्र के प्रभाव में लिए जाते रहे। महामारी के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न हुए विवाद ने इस प्रणाली की सीमाएँ उजागर कर दीं। इस प्रकार जीएसटी सुधार एक साथ प्रगति और विरोधाभास दोनों का प्रतीक बन गया — एक ओर यह राजस्व के एकीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम था, तो दूसरी ओर इसने राज्यों की राजस्व-स्वायत्तता को कम किया।

योजना आयोग को समाप्त कर 2015 में नीति आयोग की स्थापना भी भारतीय संघीय ढाँचे के पुनर्गठन की दिशा में एक बड़ा कदम थी। इसे सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के नए प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। नीति आयोग राज्यों को नीति निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार बनाता है, उन्हें नवाचार और प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहित करता है और देश के विकास लक्ष्यों को साझा मंच पर रखता है। परंतु आलोचकों का कहना है कि इसके पास वित्तीय आवंटन की शक्ति नहीं होने के कारण इसका प्रभाव सीमित है। इसका नेतृत्व ढाँचा — प्रधानमंत्री की अध्यक्षता और केंद्र द्वारा नामित सदस्यों का समूह — अब भी केंद्र-प्रधान झुकाव को दर्शाता है। योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग का स्वरूप अधिक परामर्शात्मक है, लेकिन निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति अब भी केंद्र के हाथों में केंद्रित है।

वित्तीय संबंधों के संदर्भ में राज्यों की स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। संविधान की सातवीं अनुसूची में कराधान के अधिकारों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया है, परंतु प्रमुख कर-स्रोत — जैसे आयकर, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क — केंद्र के पास हैं। राज्यों की आय का बड़ा हिस्सा केंद्र द्वारा वितरित होने वाले हिस्से पर निर्भर करता है। वित्त आयोग हर पाँच वर्ष में इन हिस्सों को पुनः निर्धारित करता है, परंतु अक्सर राज्यों को शिकायत रहती है कि वितरण का आधार राजनीतिक रूप से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, पंद्रहवें वित्त आयोग (2021–26) ने कर-वितरण की गणना में 2011 की जनगणना का उपयोग किया, जिससे दक्षिणी राज्यों को नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया था। इस प्रकार वित्तीय संरचना में निहित असमानताएँ संघीय असंतुलन को और गहरा करती हैं।

न्यायपालिका ने संघवाद के विकास में निर्णायक भूमिका निभाई है। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के ऐतिहासिक निर्णय ने संघीयता को संविधान का मूल ढाँचा घोषित किया, जिससे केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करने की शक्ति पर नियंत्रण लगा। इसी तरह राज्य बनाम केंद्र के कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि "सहकारी संघवाद" केवल नारा नहीं बल्कि संवैधानिक दायित्व है। हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी परिषद से संबंधित मामलों और दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल विवाद में संघीय सिद्धांत की नई व्याख्याएँ दी हैं, जिनमें राज्यों की नीतिगत स्वायत्तता को लोकतांत्रिक शासन का अनिवार्य हिस्सा बताया गया है।

बीते एक दशक में केन्द्रीयकरण ने और भी सूक्ष्म रूप धारण कर लिया है। केंद्र ने शिक्षा, कृषि, पर्यावरण और कानून-व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में बढ़ती हस्तक्षेप की है, जो परंपरागत रूप से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) और कृषि सुधार कानून जैसे उदाहरण बताते हैं कि राष्ट्रीय एकरूपता के नाम पर स्थानीय विविधता को सीमित किया जा रहा है। महामारी के दौरान यह प्रवृत्ति और स्पष्ट दिखी जब स्वास्थ्य नीति, टीकाकरण और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों में केंद्र ने प्रमुख भूमिका निभाई। डिजिटल इंडिया, आधार, CoWIN प्लेटफ़ॉर्म और पीएम गति-शक्ति जैसी योजनाएँ प्रशासनिक दक्षता तो बढ़ाती हैं, परंतु इससे डेटा-नियंत्रण और नीति-निर्माण का केन्द्रीयकरण और गहरा हुआ है। इस तरह डिजिटल युग का केन्द्रीयकरण दोधारी तलवार की तरह है — यह दक्षता तो बढ़ाता है पर संघीय संतुलन को कमजोर भी करता है।

संघीयता की बहस केवल प्रशासनिक या आर्थिक दायरे तक सीमित नहीं है। हाल के वर्षों में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" और "समान नागरिक संहिता (UCC)" जैसे विचारों ने इसे सांस्कृतिक और संवैधानिक विमर्श में भी ला दिया है। "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा चुनावी खर्च और समय बचाने का तर्क देती है, परंतु इससे राज्यों की राजनीतिक स्वायत्तता और स्थानीय मुद्दों की प्राथमिकता प्रभावित हो सकती है। इसी तरह, समान नागरिक संहिता का विचार लैंगिक समानता और न्याय के पक्ष में है, लेकिन इससे राज्यों की विधायी स्वायत्तता और विविधता पर प्रभाव पड़ सकता है। इन प्रस्तावों से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति-संतुलन का प्रश्न अब केवल वित्तीय न होकर सामाजिक-सांस्कृतिक आयाम तक पहुँच गया है।

भारतीय संघवाद की जटिलता राज्यपाल की भूमिका में भी झलकती है। संविधान के अनुच्छेद 153–162 के अंतर्गत राज्यपाल को केंद्र और राज्य के बीच एक सेतु के रूप में स्थापित किया गया, परंतु व्यवहार में यह पद राजनीतिक विवादों का केंद्र बन गया है। कई बार राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच टकराव देखने को मिलते हैं, जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में हाल के वर्षों में हुआ। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के नियंत्रण में होती है, जिससे उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्यपाल का पद संवैधानिक मर्यादा का प्रतीक है, न कि केंद्र की राजनीतिक इच्छा का उपकरण। यदि इस मर्यादा का पालन किया जाए, तो यह पद संघीय संतुलन को बनाए रखने का माध्यम बन सकता है।

संविधान ने संघवाद को केवल शक्तियों के विभाजन के रूप में नहीं, बल्कि साझा उत्तरदायित्व के रूप में परिभाषित किया है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत गठित अंतर-राज्य परिषद और वित्त आयोग जैसे संस्थान इस संतुलन के लिए बनाए गए थे, परंतु इनकी भूमिका सीमित रह गई है। यदि भारत को वास्तविक संघीयता की दिशा में आगे बढ़ना है, तो इन संस्थाओं को सक्रिय करना होगा, उनकी नियमित बैठकों और निर्णयकारी अधिकारों को सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही स्थानीय शासन — पंचायतों और नगरपालिकाओं — जिन्हें 73वें और 74वें संविधान संशोधन से सशक्त किया गया, उन्हें राज्यों द्वारा वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। विकेन्द्रीकरण तभी सार्थक होगा जब वह ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़े।

21वीं सदी के भारत में संघवाद को केवल "सहकारी" या "प्रतिस्पर्धी" रूप में नहीं, बल्कि "सह-निर्माणीय संघवाद" (Co-constructive Federalism) के रूप में विकसित होना चाहिए। इसका अर्थ है कि नीति-निर्माण केवल केंद्र द्वारा न होकर राज्यों के अनुभवों और आवश्यकताओं से मिलकर तैयार हो। जल-प्रबंधन, पर्यावरण नीति, शहरी परिवहन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझा नीति-तंत्र विकसित किए जा सकते हैं, जिससे नीतियाँ अधिक व्यवहारिक और सर्वसमावेशी बनेंगी। संघवाद तभी जीवंत रहेगा जब उसमें संवाद, विश्वास और साझेदारी की संस्कृति बनी रहे। अंततः संघवाद का उद्देश्य शक्ति बाँटना नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व साझा करना है। यदि केंद्र और राज्य संवैधानिक भावना के अनुरूप सहयोग और संवाद की संस्कृति को अपनाएँ, तो भारत न केवल एक सशक्त संघीय राष्ट्र बना रहेगा बल्कि उसकी एकता विविधता के साथ और भी सुदृढ़ होगी।

डिजिटल युग ने भारतीय संघवाद को एक नया आयाम दिया है — "तकनीकी संघवाद।" अब शासन केवल राजनीतिक शक्तियों का नहीं, बल्कि डेटा और तकनीकी अवसंरचना के नियंत्रण का भी प्रश्न बन गया है। आधार, डीबीटी, CoWIN, पीएम गति-शक्ति और डिजिटल इंडिया जैसी पहलें राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत प्रणाली बनाती हैं, परंतु इनका संचालन मुख्यतः केंद्र के हाथों में है। इससे राज्यों की डेटा संप्रभुता (data sovereignty) और गोपनीयता नीतियों पर प्रश्न उठते हैं। राज्यों को भी अपने नागरिकों के डेटा के उपयोग, साइबर सुरक्षा और डिजिटल शासन में स्वतंत्र नीति बनाने का

अधिकार मिलना चाहिए। यदि केंद्र और राज्य मिलकर साझा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ — जैसे साझा सार्वजनिक डेटा मिशन या संयुक्त शहरी परिवहन प्रणाली — तो इससे प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता दोनों बढ़ सकती हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब तकनीकी संसाधनों का नियंत्रण साझा हो, न कि केन्द्रीकृत।

भारतीय संघवाद अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ उसे केवल संविधान की भाषा से नहीं, बल्कि नई संस्थागत रचनाओं और नीति नवाचारों से भी परिभाषित किया जाएगा। "सह-निर्माणीय संघवाद" (Co-constructive Federalism) की अवधारणा इसी दिशा में आगे बढ़ने का संकेत है। इसका अर्थ है कि नीति-निर्माण एक साझा प्रक्रिया हो — न कि ऊपर से नीचे तक का निर्देश। जलवायु नीति, आपातकालीन प्रबंधन और डिजिटल शासन जैसे क्षेत्रों में "संघीय परिषदें" बनाई जा सकती हैं, जहाँ केंद्र और राज्य मिलकर दीर्घकालीन नीतियाँ तय करें। इन परिषदों को केवल परामर्शदायी नहीं, बल्कि निर्णयकारी अधिकार दिया जाए। इसके अलावा, स्थानीय शासन संस्थाओं को भी "संघीय संवाद" का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की जड़ें गाँव और नगर स्तर पर ही सबसे मजबूत होती हैं।

भारतीय संघवाद का सफर निरंतर विकासशील रहा है — औपनिवेशिक केंद्रीकरण से लेकर सहकारी संघवाद तक, और अब डिजिटल तथा वैश्विक संघवाद की दिशा में। इस यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती शक्ति-संतुलन की नहीं, बल्कि विश्वास और संवाद की रही है। संविधान ने हमें दिशा दी है; अब आवश्यकता है उस दिशा में साझेदारी और सहनिर्माण की भावना से आगे बढ़ने की। यदि केंद्र और राज्य इस भावना को अपनाएँ कि "भारत की शक्ति उसकी विविधता में है, और उसकी विविधता तभी फलती-फूलती है जब उसे समान सम्मान और अवसर मिले," तो भारतीय संघवाद आने वाले समय में न केवल राजनीतिक स्थिरता का आधार बनेगा, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक पहचान का सबसे सशक्त स्तंभ भी रहेगा।

निष्कर्ष

भारतीय संघवाद एक ऐसा ढाँचा है जो समय के साथ बदलता रहा है और आगे भी बदलता रहेगा। आज का दौर केंद्र की बढ़ती भूमिका, डिजिटल शासन, जीएसटी, नीति आयोग और आर्थिक प्रतिस्पर्धा का है। राज्यों की वित्तीय चुनौतियाँ, नीति-निर्माण की सीमाएँ और स्थानीय मुद्दों की विविधता संघवाद को और जटिल बनाती हैं। लेकिन भारत की ताकत इसी में है कि वह विविधताओं को स्वीकार करता है और सामूहिक रूप से आगे बढ़ता है। भविष्य में आवश्यकता संतुलन की है—न केंद्र अत्यधिक प्रभुत्वशाली हो और न राज्य असहाय स्थिति में रहें। एक संतुलित, सहयोगी और व्यवहारिक संघवाद ही भारत को विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे ले जा सकता है।

संदर्भ

1. भारत की संविधान सभा. संविधान सभा की बहसें, खंड IX: संघीय संरचना और राज्यों के संघ पर चर्चाएँ. नई दिल्ली: लोक सभा सचिवालय; 1949.
2. भारत का संविधान. अनुच्छेद 245–263 तथा सातवीं अनुसूची. नई दिल्ली: भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय; 1950 (संशोधित संस्करण उपलब्ध: https://legislative.gov.in/constitution-of-india).
3. नीति आयोग. सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद: सुशासन की ओर. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2017.
4. वित्त मंत्रालय. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2021.
5. पंद्रहवाँ वित्त आयोग. पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट (2021–26). नई दिल्ली: भारत सरकार; 2020.
6. सिंह एमपी, सैनी रेखा. भारतीय राजनीति: संवैधानिक नींव और संस्थागत कार्यप्रणाली. दिल्ली: पीएचआई लर्निंग प्रा. लि.; 2019.
7. सुब्रमण्यन अरविंद. जीएसटी और भारत का संघीय समझौता. इंडियन एक्सप्रेस. 2020 जुलाई 1.
8. संपादकीय. भारत में केंद्रीकरण और सहकारी संघवाद. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली. 2022;56(12):7-9.
9. भारत का सर्वोच्च न्यायालय. एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ. AIR 1994 SC 1918.
10. नीति आयोग. भारत@100: अमृत काल की दृष्टि. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2023.
11. वित्त मंत्रालय. आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2024.
12. जैन एस.एन. भारतीय संघवाद: उभरते रुझान और चुनौतियाँ. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2020.
13. सरकारिया आयोग. केंद्र-राज्य संबंधों पर आयोग की रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार; 1987.
14. पुंछी आयोग. केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा पर आयोग की रिपोर्ट (खंड 1–7). नई दिल्ली: भारत सरकार; 2010.
15. गृह मंत्रालय. अंतर-राज्य परिषद की वार्षिक रिपोर्टें. नई दिल्ली: भारत सरकार; (विभिन्न वर्ष).
16. भारतीय रिज़र्व बैंक. राज्य वित्त: बजटों का अध्ययन (वार्षिक प्रतिवेदन). मुंबई: भारतीय रिज़र्व बैंक; (प्रतिवर्ष).
17. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक. राज्यों के वित्त पर प्रतिवेदन. नई दिल्ली: सीएजी; (विभिन्न वर्ष).
18. योजना आयोग. केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2005.
19. लोक सभा सचिवालय. केंद्र-राज्य संबंधों पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्टें. नई दिल्ली: भारत की संसद; (विभिन्न अंक).
20. बसु डी.डी. भारतीय संविधान: सिद्धांत एवं व्यवहार (हिंदी संस्करण). नई दिल्ली: लेक्सिसनेक्सिस; 2018.
21. शुक्ला वी.एन. भारतीय संविधान का सिद्धांत (हिंदी संस्करण). लखनऊ: ईस्टर्न बुक कंपनी; नवीनतम संस्करण.
22. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी. संघवाद और प्रशासन पर प्रशिक्षण मॉड्यूल. मसूरी: एलबीएसएनएए; 2019.
23. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA). भारतीय संघवाद के बदलते आयाम: राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही. नई दिल्ली: IIPA; 2021.
24. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR). केंद्र-राज्य संबंधों पर शोध प्रतिवेदन. नई दिल्ली: ICSSR; 2020.
25. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI). राज्यों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) आँकड़े. नई दिल्ली: भारत सरकार; (वार्षिक प्रकाशन)।

How to Cite This Article

यादव व्के. केन्द्रीयकरण के युग में भारतीय संघवाद: जीएसटी, नीति आयोग और उससे आगे. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड ग्रोथ इवैल्यूएशन. 2025;6(4):1463-1466.

Creative Commons (CC) License

This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work non-commercially, as long as appropriate credit is given and the new creations are licensed under the identical terms.